बिहार होल्डिंग समेकन तथा खंडकरण-निवारण नियमावली, 1958[1]

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।—(1) यह नियमावली बिहार होल्डिंग समेकन तथा खण्डकरण-निवारण नियमावली, 1958 कही जा सकेगी।

(2) यह उन क्षेत्रों में और उस तारीख से लागू होगी जिन क्षेत्रों में और जिस तारीख से बिहार होल्डिंग समेकन तथा खण्डकरण-निवारण अधिनियम, 1956 लागू किया जाए।

2. परिभाषाएँ। —जबतक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, इस नियमावली में —

(क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है बिहार होल्डिंग-समेकन तथा खण्डकरण निवारण अधिनियम, 1956 ;

(ख) ''फारम'' से अभिप्रेत है अनुसूची में दिया गया फारम ;

(ग) ''धारा'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;

(घ) ''व्यस्क'' से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसने इक्कीस वर्ष की उम्र पुरी कर ली हो; और

(ङ) इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित सभी शब्दों और पदों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए दिए गए हैं।

[2][**3. अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचना की रद्दगी ।**— अधिनियम की धारा 3 के अधीन जारी की गयी अधिसूचना सम्पूर्ण क्षेत्र या उसके किसी अंश के सम्बन्ध में अन्य कारणों के साथ-साथ निम्नलिखित एक या अधिक आधारों पर रद्द की जा सकेगी: —

(क) क्षेत्र में इस प्रकार की विकास-स्कीम चल रही हो कि यदि वह स्कीम पूरी हो गई तो चकबन्दी का काम किसान के एक वर्ग के लिए असाभ्योचित हो जायगा;

(ख) एक या अन्य कारणों से गांव के होल्डिंगों की चकबन्दी हो चुकी हो और रैयत वर्त्तमान स्थिति से सामान्यतः सन्तुष्ट हों;

(ग) दलबन्दी के कारण गांव इतना विभक्त हो कि गाँव में चकबन्दी की समुचित कार्यवाहियां करना बहुत कठिन हो जाए; और

(घ) इस प्रयोजन के लिये क्षेत्र की सभी भूमि के एकत्रीकरण के बाद क्षेत्र में खेती का काम चलाने के लिए सहकारी सोसाइटी बनाई गई हो।]

4. धारा 6 के अधीन अन्तरण या विभाजन की मंजूरी के लिए आवेदन—धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन मंजूरी के लिए आवेदन ।— (1) अन्तरण या विभाजन की मंजूरी के लिए आवेदन, यथा-स्थिति, फारम 1 या 2 में समेकन-पदाधिकारी के समक्ष किया जाएगा, जिस फारम में उल्लिखित विशिष्टियाँ दी रहेंगी।

(2) ऐसे आवेदन के साथ अपेक्षित संख्या में इसकी प्रतियां, और अपेक्षित संख्या में फारम 3 में नोटिस भी दी रहेगी।

[1][**5. धारा 4(4), 10(6), 12-क (2) और 19(2) के अधीन अपील ।**—धारा 6 की उप-धारा (4), धारा 10 की उप-धारा (6) धारा 12-क की उप-धारा (2) तथा धारा 19 की उप-धारा (2) के अधीन अपील के निपटारे की रीति — धारा 6 की उप-धारा (4), धारा 10 की उप-धारा (6), धारा 12-क की उप-धारा (2) तथा धारा 19 की उप-धारा (2) के अधीन दायर की गई अपीलों की सुनवाई

---

1. यह नियमावली अधिसूचना सं० 1424 - आर-टी, दिनांक 20 अगस्त, 1958 द्वारा बनायी गयी।
2. एस० ओ० 1101 दिनांक 26.8.1976 द्वारा प्रतिस्थापित।

Scanned with OKEN Scanner

और निपटारा करने में सिविल अपीलों के निपटारे के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 में अधिकथित प्रक्रिया यथासाध्य अपनायी जाएगी।]

[2][6. समेकन के पहले भूकर-सर्वेक्षण और अधिकार अभिलेख तैयार करने की प्रक्रिया।— धारा 8 के अधीन समेकन के पहले अद्यतन अधिकार-अभिलेख तैयार करते समय सर्वेक्षण और अधिकार अभिलेख के लिए बिहार काश्तकारी अधिनियम (बिहार टेनेन्सी ऐक्ट), 1885 (अधिनियम सं०8, 1885) के अध्याय 10, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 (बंगाल अधिनियम सं० 6, 1908) के अध्याय 12, और संथाल परगना बन्दोबस्त विनियम, 1872 (विनियम सं०, 3, 1872) के उपबन्धों का पालन निम्न उपान्तरणों के अध्यधीन किया जायगा :—

(1) बिहार काश्तकारी अधिनियम (बिहार टेनेन्सी ऐक्ट), 1885 (अधिनियम सं० 8, 1885) के अध्याय 10 की [धारा 10-3 क] धारा 105, 105 -क, 106, 107, 108, 108-क 109 और 109-क लागू न होगी।

(2) छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (छोटानागपुर टेनेन्सी ऐक्ट,) 1908 (बंगाल अधिनियम सं० 6, 1908) के अध्याय 12 की धारा 85 की उप-धारा (2) के खण्ड (i) तथा धारा 87, 89, 90, 91 और 93 लागू न होगी।

(3) सँथाल परगना बन्दोबस्त विनियम (संथाल परगना सेटलमेन्ट रेगुलेशन) (विनियिम 3, 1872) की धारा 25-अ और 26 लागू न होगी ।

[3][6. क. भूमि के रजिस्टर में कतिपय विशिष्टियों का अतर्विष्ट होना ।—भूमि के रजिस्टर में निम्नलिखित मद्दें भी अंतर्विष्ट रहेंगी:—

(क) ऐसे दर-रैयतों द्वारा धारित भूमि के प्लॉटों का क्षेत्रफल और क्रम संख्या, जिनमें उन्हें अधिभोगाधिकार प्राप्त नहीं हो;

(ख) ऐसे दर-रैयतों द्वारा धारित भूमि के प्लॉटों का क्षेत्रफल और क्रम संख्या, जिनमें उन्हें अभिभोगाधिकार प्राप्त हो ।]

[3][6. ख. परवाना जारी करना ।— (1) जहाँ चकबन्दी पदाधिकारी भूमि की बिक्री, दान विनिमय या विभाजन के लिये मंजूरी दे, वहाँ, वह इस आशय के परवाना प्रारूप (फारम) 6-क में जारी करेगा।

(2) मंजूरी दी जाने के पहले, धारा 6 की उप-धारा (3) के द्वितीय परन्तुक के अनुपालन में अन्तरिती को सम्बद्ध चकबन्दी पदाधिकारी के समक्ष सम्यक् रूप से शपथ लेकर इस आशय का एक शपथ-पत्र दायर करने को कहा जाएगा कि यदि उनके पक्ष में भूमि का अन्तरण किया जाए, तो ऐसे अन्तरण के बाद उसके द्वारा धारित भूमि का कुछ क्षेत्रफल उस अधिकतम क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा जो वह बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा-निर्धारण और अधिशेष भूमि-अर्जन) अधिनियम, 1961 (बिहार अधिनियम सं० 12, 1962) के अधीन धारण कर सकता हो।]

[3][6. ग । सिद्धांतों का विवरण ।—(1) सहायक चकबन्दी पदाधिकारी ग्राम सलाहकार समिति के परामर्श से और इकाई के अधिक-से-अधिक उतने रैयतों से, जितने को वह एकत्र करने में समर्थ हो, जाँच-पड़ताल करने के बाद सिद्धांतों का विवरण प्ररूप (फारम) 26 में स्वयं तैयार करेगा। विवरण में उन सिद्धांतों के कारण दिए रहेगे, जिनके आधार पर वे उसमें समाविष्ट किए जाएंगे। साथ ही, उसके साथ उसी इकाई के नक्शे की एक प्रति रहेंगी, जिसमें निम्नलिखित बातें दिखाई रहेंगी:—

(i) आबादी स्थल, नहर, क्षेत्र-प्रणाली सहित उनकी वितरणी (डिस्ट्रीव्यूरीज) सड़क, बाग,

1. एस० ओ० 1461 दिनांक 26.8.1976 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. एस० ओ० 362 दिनांक 30.4.1971 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. एस० ओ० 1461 दिनांक 26.8.1976 द्वारा अन्तःस्थापित ।

Scanned with OKEN Scanner

कुआँ, नाला, नदी, कब्रिस्तान, श्मशान और लोक प्रयोजन के लिए उपयोजित अन्य क्षेत्र जैसी विद्यमान स्थायी आकृति;

(ii) खण्ड (i) में उल्लिखित किसी मद के स्थल, सरेखण या आयामों में प्रस्तावित परिवर्द्धन और परिवर्तन; और

(iii) किसी अन्य लोक प्रयोजनो के लिए अलग किए जानेवाले क्षेत्र।

(2) गाँव में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों तथा भूमिहीन श्रमिकों के लिए आबादी स्थल हेतु क्षेत्र सहित आबादी के विस्तार के लिए भूमि के आरक्षण के अलावा, निम्नलिखित लोक प्रयोजनों के लिए हरेक इकाई की आवश्यकताओं के अनुसार भूमि आरक्षित की जा सकेगी:—

(1) ग्राम पंचायत घर,
(2) शिशु क्रीड़ा-स्थल,
(3) गोचर (चारागाह),
(4) खाद गड्ढा,
(5) स्कूल,
(6) खलिहान,
(7) सड़क, ग्राम और अन्तरग्राम-रास्ता,
(8) अस्पताल,
(9) श्मशान और कब्रिस्तान,
(10) वृक्ष-रोपण,
(11) सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल प्रणाल (वाटर चैनेल),
(12) इसी प्रकार का कोई अन्य उद्योग जिसके लिए इकाई के रैयतों के हित में भूमि का आरक्षण आवश्यक समझा जाए।

(3) सिद्धान्त-विवरण तैयार करने के क्रम में उस इकाई की हरेक विशिष्ट समस्या पर जिसका संबंध चकों के न्यायोचित आवंटन से हो, सहायक चकबंदी पदाधिकारी और ग्राम सलाहकार समिति ध्यान देगी जिन सिद्धान्तों पर इन समस्याओं का समाधान करने का विचार हो वे अधिनियम और नियमावली के अनुरूप हो और वे विवरण में अवश्य नियमित कर दिए जाएं।

(4) यदि सिद्धान्तों के विवरण की किसी बात पर सहायक चकबन्दी पदाधिकारी और ग्राम सलाहकार समिति के बीच मतान्तर हो, तो सहायक चकबन्दी पदाधिकारी मतान्तर के बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए एक टिप्पणी तैयार करेगा और उसे चकबन्दी पदाधिकारी के पास अग्रसारित कर देगा।

(5) यदि चकबन्दी पदाधिकारी सहायक चकबन्दी पदाधिकारी और ग्राम सलाहकार समिति के बीच मतान्तर को दूर करने में असमर्थ हो, तो वह मतान्तर के हर बिन्दु पर अपनी राय के साथ उस अभिलेख को सहायक चकबन्दी निदेशक के पास अग्रसारित कर देगा।

(6) सहायक निदेशक, चकबन्दी ग्राम सलाहकार समिति की सुनवाई करने के बाद उपनियम (5) के अधीन उसे निर्दिष्ट बिन्दुओं पर अपना विनिश्चय देगा।]

[1][**6 घ। विवरण एवं रजिस्टर का प्रकाशन।**— (1) धारा 9-क के अधीन तैयार किया गया सिद्धान्त—विवरण और धारा 9 के अधीन तैयार किया गया भूमि का रजिस्टर तथा संबद्ध नक्शा डुग्गी पिटवाकर 30 दिनों की कालावधि के लिए इकाई से प्रकाशित किए जाएंगे और प्रारूप (फारम) 10-क में एक सामान्य सूचना नियम 13 में विहित रीति से इकाई में प्रकाशित की जायगी। ऐसे प्रकाशन की तारीख के पहले प्रारूप (फारम) 10-ख में एक सूचना भूमि के रजिस्टर की सुसंगत प्रविष्टियों के उद्धरण के साथ भूमि के उन रैयतों और दर-रैयतों पर तामील की जाएगी, जिनसे वे प्रविष्टियां संबंधित हों।

(2) सिद्धान्त-विवरण या भूमि के रजिस्टर की किसी प्रविष्टि से हितबद्ध कोई व्यक्ति धारा 10(1) के अधीन प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों की कालावधि के भीतर सहायक चकबन्दी पदाधिकारी के पास लिखित आक्षेप दायर कर सकेगा।

(3) सिद्धान्त-विवरण के विरुद्ध सभी आक्षेपों में यह स्पष्ट रुप से दिखाया रहेगा कि आक्षेपकर्त्ताओं का हित किस रूप में प्रभावित हो रहा है।

---

1. एस० ओ० 1461 दिनांक 26.8.1976 द्वारा अन्तःस्थापित।

Scanned with OKEN Scanner

(4) आक्षेपकर्त्ता—(क) भूमि में अधिकार और दायित्व तथा संयुक्त होल्डिंगों के अन्तर्गत वैयक्तिक रैयतों के हिस्से का विनिदेश एवं अन्य सजातीय विषयों के संबंध में, तथा (ख) प्लाटों और वृक्षों, कुओं और अन्य सुधारों के मूल्यांकन के संबंध में अलग-अलग आक्षेप तैयार करेंगे:

परन्तु कोई भी आक्षेप केवल इस आधार पर ही खारिज नहीं कर दिया जाएगा कि उपखण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में एक संयुक्त आक्षेप दायर किया गया है।

(5) सहायक चकबन्दी पदाधिकारी उप-नियम (4) के उप-खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित दो कोटियों के आक्षेपों में से हरेक के संबंध में अलग-अलग मामला का संचिका खुलवायेगा।

(6) उप-नियम (4) के उप-खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित दोनों कोटियों में से प्रत्येक से सम्बन्धित मामले सहायक चकबन्दी पदाधिकारी के कार्यों में फारम 25 में ग्रामवार रजिस्टर में अलग से प्रविष्ट किए जाएगें।

(7) सहायक चकबन्दी पदाधिकारी धारा 10[2] के अधीन निर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में रैयत और दर रैयत द्वारा दायर किए गए सभी आक्षेपों पर कार्रवाई यथासंभव गाँव में ही करेगा। धारा 10 की उप-धारा (3) के निबंधन (टर्म) के अनुसार सुलह के आधार पर विवादों का विनिश्चय करते समय, वह ग्राम-सलाहकार समिति के कम से कम दो सदस्यों की उपस्थित में सुलह के निबंधनों को अभिलिखित करेगा। इन निबंधनों को सम्बद्ध पक्षकारों के समक्ष पढ़ा जाएगा और उनका हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त कर लिया जाएगा। ग्राम सलाहकार समिति के उपस्थित सदस्य भी सुलह के निबंधन पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद सहायक चकबन्दी पदाधिकारी निबंधन (टर्म) के अनुसार विवादों का विनिश्चय करते हुए आदेश देगा जिनमें अभिलेख में की जानेवाली यथार्थ प्रविष्टियां विनिर्दिष्ट कर दी जाएगी। सहायक चकबंदी पदाधिकारी द्वारा दिए गये आदेशों के प्रवर्तनशील भाग का ब्योरा उसके द्वारा रखे गए रजिस्टर में अंकित कर लिया जायगा। सहायक चकबंदी पदाधिकारी व्यतिक्रम करने (डिफाल्ट) पर कोई एकपक्षीय आदेश नहीं देगा।

(8) जिन मामलों में सहायक चकबन्दी पदाधिकारी धारा 10 की उप-धारा (4) के उपबन्धों के अधीन कोई रिपोर्ट निपटाव के लिए चकबन्दी पदाधिकारी के पास भेजे, उनके सम्बन्ध में वह चकबंदी पदाधिकारी द्वारा मामले के निपटाव के लिए तारीख और स्थान नियत करेगा और उनके समक्ष उपस्थित पक्षकारों को उसकी सूचना देगा तथा अनुपस्थित पक्षकारों को प्रारूप (फारम) 11-क में सूचना निर्गत करेगा। ऐसे मामलों में सहायक चकबन्दी पदाधिकारी की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दिया रहेगा कि पक्षकारों के बीच विवाद के विषय क्या हैं और उनके बीच सुलह के लिए उसने कौन-कौन से प्रयास किए है।

(9) (क) सहायक चकबन्दी पदाधिकारी से प्राप्त मामले चकबन्दी पदाधिकारी के कार्यालय में प्रारूप (फारम) 25 में रहने वाले रजिस्टर में प्रविष्ट किए जाएँगे;

(ख) उप-नियम (8) के अधीन नियत तारीख को या इस प्रयोजनार्थ नियत किसी पश्चात्वर्ती तारीख को चकबन्दी पदाधिकारी पक्षकारों की सुनवाई करेगा, विवाद-विषय तैयार करेगा, मौखिक और दस्तावेजी दोनों प्रकार के साक्ष्य लेगा तथा आक्षेपों का विनिश्चय करेगा;

(ग) चकबन्दी पदाधिकारी द्वारा किसी विवाद के निपटाव के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को निर्गत की जानेवाली आवश्यक सूचना फारम 11-क में होगी;

(घ) किसी प्लाट या प्लाटों पर विद्यमान किसी वृक्ष, किसी कुएं या अन्य सुधार के मूल्यांकन सम्बन्धी विवाद का विनिश्चय करने के लिए चकबन्दी पदाधिकारी सम्बद्ध प्लाट का स्थानीय निरीक्षण करेगा, निरीक्षण ज्ञाप तैयार करेगा और उसे सम्बन्धित संचिका में रखेगा।

(10) अमीन धारा 10 के अधीन पारित सहायक चकबन्दी पदाधिकारी और चकबन्दी पदाधिकारी के आदेशों को भूमि से सम्बन्धित रजिस्टर में अंकित करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रविष्टियां सही-सही की गई हैं, सहायक चकबन्दी पदाधिकारी शत प्रतिशत प्रविष्टियों की जांच करेगा।

Scanned with OKEN Scanner

(11) यथास्थिति चकबन्दी पदाधिकारी या सहायक चकबन्दी निदेशक धारा 10 की उपधारा (7) के अधीन इकाई (यूनिट) का स्थानीय निरीक्षण करते समय एक निरीक्षण ज्ञाप तैयार करेगा और उसे उस संचिका में रखेगा जिसमें उसका आदेश रखा हो।]

[1][**7. धारा 7 के अधीन ग्राम सलाहकार समिति की नियुक्ति की रीति** ।—चकबन्दी पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति की जानेवाली ग्राम सलाहकार समिति में व्यक्तियों की संख्या और धारा 7 के अधीन नियुक्ति की रीति—(1) धारा 7 के अधीन ग्राम सलाहकार समिति में नियुक्त किए जानेवाले व्यक्तियों की संख्या 5 से कम और 12 से अधिक नहीं होगी।

(2) ऐसा सदस्य वयस्क (बालिक) होगा तथा वह गाँव का रैयत या दर-रैयत होगा अथवा उस गाँव या नजदीक के गाँव का निवासी होगा।

(3) ऐसे गाँव में, जहाँ भूमिहीन श्रमिक की आबादी वयस्क (बालिग) लोगों की आबादी के 10 प्रतिशत से अधिक हो, सहायक चकबन्दी पदाधिकारी धारा 7 की उप-धारा (1) के परन्तुक 4 के अधीन कम-से-कम एक वयस्क (बालिग) श्रमिक को ग्राम सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त करेगा। उसी परन्तुक के अधीन सहायक चकबन्दी पदाधिकारी गाँव के ऐसे कम-से-कम एक वयस्क किसान को भी, जिसे 5 एकड़ से अधिक जमीन नहीं हो, ग्राम सलाहकार समिति का एक सदस्य नियुक्त करेगा।

(4) जहाँ गाँव में बिहार ग्रामदान अधिनियम, 1965 के अधीन सम्यक रूप से गठित ग्राम सभा हो, वहाँ उस गाँव की पंचायत और ग्राम सभा की कार्यपालिका समितियों में से हरेक से अधिक-से-अधिक पाँच-पाँच सदस्य ग्राम सलाहकार समिति में लिए जायेंगे जिनका निर्वाचन अपनी-अपनी कार्यपालिका समिति के सदस्य द्वारा होगा।

(5) जहाँ चकबन्दी पदाधिकारी का यह समाधान हो कि ग्राम पंचायत या/ग्राम सभा की कार्यपालिका समिति-समितियां उप-नियम (4) के अधीन युक्तियुक्त समय के भीतर ग्राम सलाहकार समिति के लिए नियत सदस्यों का निर्वाचन करने में असफल हो गई है/हो वहाँ वह, सहायक चकबन्दी निदेशक के अनुमोदन से, ग्राम सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में अपेक्षित संख्या में व्यक्तियों का नाम निर्देशन करेगा।

(6) चकबन्दी पदाधिकारी गाँव के रैयतों, दर-रैयतों और भूमिहीन श्रमिकों की आाम सभा में सहायक चकबन्दी पदाधिकारी द्वारा चुने गए व्यक्तियों को उनके चुनाव के आधार पर धारा 7 की उप-धारा (1) के प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ परन्तुक के अधीन ग्राम सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त करेगा। सहायक चकबन्दी पदाधिकारी उक्त बैठक के लिए तारीख, समय और स्थान नियत कर प्रारूप (फारम) 4 में एक आम सूचना जारी करेगा जिसमें सभी हितबद्ध और सम्बन्ध व्यक्तियों को उस बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा, जो अपने दावों और आक्षेपों के समर्थन में ऐसा साक्ष्य पेश कर सकेंगे जिसे वे पेश करना चाहे।

(7) ग्राम सलाहकार समिति के प्रत्येक सदस्य की नियुक्ति की सूचना उसे पत्र द्वारा दी जाएगी और ऐसे सदस्यों के नाम प्रारूप (फारम) 5 में एक सर्वसाधारण सूचना निकालकर गाँव में प्रकाशित कर दिए जाएँगे।

(8) जब किसी समय चकबन्दी पदाधिकारी को यह समाधान हो जाए कि ग्राम सलाहकार समिति अधिनियम या नियमावली द्वारा अधिरोपित कर्त्तव्यों का निर्वहन या सौपे गये कृत्यों का पालन करने में, युक्तियुक्त कारण के बिना असफल रही है या उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया है अथवा ऐसी परिस्थितियां उपस्थित हो गई है कि ग्राम सलाहकार समिति पूर्वोक्त कर्त्तव्यों के निर्वहन या कृत्यों के पालन में असमर्थ हो गई हैं अथवा ऐसा करना अन्यथा समीचीन है वहाँ वह, सहायक चकबन्दी निदेशक के अनुमोदन से, अपेक्षित व्यक्तियों को नियुक्त कर इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार एक नयी ग्रम सलाहकार समिति का गठन कर सकेगा।

1. एस० ओ० 1461 दिनांक 26.8.1976 द्वारा प्रतिस्थापित ।

Scanned with OKEN Scanner

(9) (क) चकबन्दी पदाधिकारी ग्राम सलाहकार समिति के किसी सदस्य का पदत्याग स्वीकार कर सकेगा और ऐसी रिक्ति नियमावली के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा भरी जाएगी।

(ख) किसी सदस्य की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति भी चकबन्दी पदाधिकारी द्वारा उसी तरह भरी जाएगी।

(10) जहाँ एक ईकाई में दो ग्राम पंचायते हों वहाँ ग्राम पंचायतों की प्रत्येक कार्यकारणी समिति से अधिक-से-अधिक पाँच-पाँच सदस्य ग्राम सलाहकार समिति में सम्मिलित किए जाएंगे, जिनका निर्वाचन ग्राम पंचायतों की अपनी-अपनी कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा उप-नियम (4) में अधिकथित रीति से किया जाएगा। जहाँ इस प्रकार की इकाई में ग्राम सभा भी हो, वहाँ ग्राम पंचायतों की प्रत्येक कार्यकारिणी समिति और ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति से अधिक-से-अधिक तीन-तीन सदस्य ग्राम सलाहकार समिति में सम्मिलित किए जाएँगे ।]

8. धारा 40 (2) (ग) के अधीन ग्राम सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने की रीति और परामर्श का प्रयोजन सहायक समेकन पदाधिकारी किस रीति से और किस प्रयोजन के लिए ग्राम सलाहकार समिति के साथ परामर्श करेगा ।—(1) [1][सहायक समेकन पदाधिकारी] ग्राम सलाहकार समिति की बैठक गाँव में कराकर उससे परामर्श करेगा। वह उक्त समिति के सदस्यों की, बैठक होने के कम से कम 24 घंटे पहले बैठक की लिखित नोटिस देगा जिसमें बैठक की तारीख, समय और स्थान उल्लिखित रहेगा। इस नोटिस द्वारा सदस्यों से बैठक में उपस्थित होने की अपेक्षा की जायेगी। जिस विशिष्ट प्रयोजन के लिए बैठक होनेवाली हो उसका नोटिस में यथासंभव उल्लेख कर देना चाहिए।

(2) ग्राम सलाहकार समिति की बैठक की कार्यवाही कार्यवृत के रूप में लिखी जाएगी।

(3) [1][सहायक समेकन पदाधिकारी] निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ग्राम सलाहकार समिति से परामर्श करेगा:—

(i) धारा 9 के अधीन भूमि रजिस्टर तैयार करते समय भूमि, घर मकान, कुँआ आदि का [1][मूल्यांकन] नियत करना;

[2][(i क) धारा 9-क के अधीन सिद्धान्तों का विवरण तैयार करना;]

(ii) धारा 11 के अधीन समेकन-स्कीम का प्रारूप तैयार करना;

(iii) कोई अभिधारी आवंटित भूमि पर कब्जा करेगा यह नियत करना जैसा की धारा 14 की उप-धारा (1) के अधीन उपबंधित है;

(iv) [1][धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन लगी फसलों के लिए प्रतिकर नियत करना;

(v) धारा 24 के अधीन समेकन-कार्यवाही के खर्च वसूली के लिए स्कीम तैयार करना और

(vi) [3][x x x]

9. धारा 11 और 40 (2) (ट) के अधीन समेकन स्कीम का प्रारूप तैयारी करने के नियम ।—धारा11 और 40(2) के अधीन समेकन-स्कीम तैयार करने में ग्राम सलाहकार समिति [1][सहायक समेकन पदाधिकारी] और अन्य व्यक्तियों के मार्गदर्शन के लिए नियम—समेकन-स्कीम का प्रारूप तैयार करने में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायगा:

[1][(1) बस्ती के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क के लिए भूमि का उपबन्ध करने का प्रयास किया जाएगा, जो यथास्थिति, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम की ओर अन्य गाँवों से सड़कों द्वारा जुड़ी होगी।

(2) जहाँ कहीं भी सम्भव हो, वहाँ ग्राम पंचायत घर, शिशु-क्रीड़ा-स्थल, भूमिहीन श्रमिकों के लिए भवनों का सनिर्माण, गोचर और इसी प्रकार के किसी ऐसे अन्य उद्देश्य के लिए भूमि आवंटित की

1. एस० ओ० 1461 दिनांक 26.8.1976 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. अन्त:स्थापित (तत्रैव) ।

3. लुप्त (तत्रैव) ।

Scanned with OKEN Scanner

जाए, जिसके लिए भूमि का आरक्षण उसके इकाई के रैयतों के हित में आवश्यक समझा जाए। यदि गाँव में गैर-मजरूआ मालिक और आम भूमि का कुल क्षेत्र उस प्रयोजन के लिए प्रर्याप्त न हो, तो गाँव वालों से अनुपातिक अभिदाय लिया जा सकेगा, परन्तु उस व्यक्ति से कोई अभिदाय नहीं लिया जायगा जिसे निम्नलिखित से कम भूमि हो:—

(क) तोड़ सिंचाई, नलकूप या उद्वह सिंचाई द्वारा सिंचित एक एकड़ भूमि,

(ख) असिंचित दो एकड़ भूमि या

(ग) 4 एकड़ पहाड़ी या बलुआही भूमि ।

किसी भी व्यक्ति से उसके मूल होल्डिंग (जोत) के मूल के पाँच प्रतिशत से अधिक भूमि या अभिदाय करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी'']

(3) अभिधारी गाँव की सार्वजनिक भूमि में जो भी अंशदान करे उसके अध्यधीन अभिधारी के पास होल्डिंग-समेकन के बाद, यथासंभव उतने मूल्य की भूमि होगी जितने मूल्य की उसके पास पहले थी।

(4) यदि किसी अभिधारी के पास समेकन के पहले धनहर और भीठ भूमि अथवा दोनों ओर टाँड भूमि हो, तो उसे यथासंभव समेकन के बाद दोनों श्रेणी की भूमि मिलनी चाहिए।

(5) समेकन के प्रयोजनार्थ, गाँव को ऐसे खंडों में विभाजित कर देना चाहिए जिसकी मिट्टी एक श्रेणी की हो।

(6) हरेक अभिधारी को, यथासंभव उसी प्रखंड में भूमि आवंटित की जायगी जहाँ वह अपने होल्डिंग के मुख्य अंश का सबसे बड़ा भाग धारण करता हो और उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी जिन्हें उस खंड के अन्तर्गत सबसे अधिक भूमि हो। अभिधारी को उस प्रखंड में भूमि आवंटित नहीं की जा सके जहाँ उसकी भूमि का मुख्य अंश हो तो उसे वहाँ भूमि आवंटित की जायगी जहाँ उसका दूसरा या तीसरा मुख्य अंश हो:

[1][परन्तु गाँव के ऐसे भू-धारकों, जिनके पास उस गाँव में एक एकड़ से अधिक भूमि न हो, से परामर्श लेकर उनके गाँव में किसी एक ओर चक दिया जायेगा और इसके बाद ही अन्य भू-धारकों को चक दिया जाएगा।]

(7) यदि किसी अभिधारी को एक से अधिक प्रखंड में भूमि आवंटित की जानी है तो उसे यथासम्भव प्रखंडों की सीमा पर इस प्रकार भूमि आवंटित की जायगी जिससे वहाँ एक संहत (सघन) क्षेत्र बन जाए।

(8) यथा साध्य किसी दर-रैयत द्वारा धारित ऐसी भूमि [2][x x x] [3][धारा 11की उप-धारा (2)(छ)] में यथा उपबंधित रीति से समेकित की जाएगी। यदि वह दर-रैयत एक से अधिक रैयत के अधीन भूमि धारण करता हो, तो उसे आवंटित की जानेवाली भूमि का कुल क्षेत्र एक प्रखंड में रहना चाहिए और उसे हरेक रैयत के अधीन धारित आनुपातिक क्षेत्र के अनुसार, उप-प्लॉटों में बाँट देना चाहिए।

(9) एक ही परिवार के अभिधारियों को, यथासम्भव, अगल-बगल में प्लॉट दिए जाएँगे।

(10) सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारों के विद्यमान भवनों के स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।

[1][(11) स्कीम के प्रारूप में निम्नलिखित बातों का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाएगा:—

(क) लोक प्रयोजनों के निमित्त उपयोग में लायी गई उस भूमि का रकबा जिसे किसी जोत (होल्डिंग) के साथ सम्मिलित करने का प्रस्ताव हो और धारा 11(3) के अधीन लोक प्रयोजनों के लिए अलग किए गए क्षेत्रों का रकबा;

---

1. एस० ओ० 1461 दिनांक 26.8.1976 द्वारा अन्तःस्थापित ।

2. लुप्त (तत्रैव) ।

3. प्रतिस्थापित (तत्रैव) ।

Scanned with OKEN Scanner

(ख) किसी जोत (होल्डिंग) के साथ लगभग उसकी राशि, उस व्यक्ति का नाम, जिसके पक्ष में वह भार हो तथा भारों का स्वरूप और निबंधन (टर्म)।

(12) (क) सहायक चकबंदी पदाधिकारी, यथासम्भव अधिक से अधिक रैयतों को एकत्र कर उनसे परामर्श करने के बाद ग्राम सलाहकार समिति के सदस्यों से विचार-विमर्श कर प्रारूप (फारम) 22-क में चकबन्दी-स्कीम का प्रारूप तैयार करेगा;

(ख) उप-नियम 12 (क) के अधीन तैयार की गई चकबन्दी स्कीम के साथ उस इकाई (यूनिट) के मानचित्र की एक प्रति संलग्न रहेगा, जिसमें रैयतों को आवंटित प्लांट और लोक प्रयोजन के लिए पृथक की गई भूमि की अवस्थिति दिखाई गई हो।

(ग) स्कीम के प्रारूप में सभी काट-कूट और उपरिलेखन (लिखे पर लिखना) पर उन व्यक्तियों का जिन्होंने ये किये हों, और साथ ही सहायक चकबन्दी पदाधिकारी का भी तारीख सहित आद्यक्षर रहेगा। स्कीम-प्रारूप में सभी शुद्धियों के सम्बन्ध में एक शुद्धि-पत्र फारम 27 में तैयार किया जाएगा और उसे गाँव के अभिलेख के साथ संलग्न कर दिया जाएगा।]

[1][**9. क. धारा 11 के अधीन तैयार की गई स्कीम तथा एक नक्शा और प्रारूप (फारम) 12-क में सामान्य सूचना नियम 13 में विहित रीति से इकाई में प्रकाशित की जाएगी ।**—अमीन प्रत्येक रैयत और दर-रैयत के सम्बन्ध में चकबन्दी स्कीम के प्रारूप से सुसंगत उद्धरण दो प्रतियों में तैयार करेगा। यह सहायक चकबन्दी पदाधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया जायगा और उद्धरण की एक प्रति माँग करने पर निःशुल्क रैयत को दी जाएगी। यह सुनिश्चित करना सहायक चकबन्दी पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि किसी रैयत या दर-रैयत को उद्धरण उपलब्ध करने में कोई परेशानी उठानी नहीं होती है।

9 -ख. सहायक चकबन्दी पदाधिकारी धारा 12 (2) के अधीन प्राप्त आक्षेपों को निपटारे के लिए चकबन्दी पदाधिकारी के पास अग्रसारित कर देगा।—ऐसे प्रत्येक मामले के लिए जिसमें अधिनियम की धारा 12 (2) के अधीन आक्षेप प्राप्त हों, पृथक-पृथक संचिका खोली जाएगी। प्रत्येक मामले की संचिका में एक सामान वर्ग के पक्षकारों के संम्बन्ध में कार्रवाई की जाएगी। सभी आक्षेप चकबन्दी पदाधिकारी के कार्यालय में एक रजिस्टर में प्रारूप (फारम) 25 में प्रविष्ट किए जाएंगे।

9-ग. (1) यदि धारा 12-क के अधीन पारित आदेशों के फलस्वरूप चकबन्दी स्कीम के प्ररूप में ऐसे अनेक परिवर्त्तन करने हों, जिन्हें विद्यमान विवरण में समाविष्ट करना आसानी से सम्भव न हो, तो धारा 13 (1) और (2) के अधीन उसे संतुष्ट और प्रकाशित करने के पहले उसकी एक स्वच्छ प्रति तथा रैयतों को आवंटित किए गए प्लांटों को और लोक-प्रयोजनों के लिए पृथक की गई भूमि की अवस्थिति को दिखलाने वाला इकाई (यूनिट) का नक्शा तैयार कर लिया जाएगा।

(2) सहायक चकबन्दी पदाधिकारी द्वारा यथा संपुष्ट और धारा 13 की उप-धारा (2) के अधीन प्रकाशित चकबन्दी स्कीम-प्रारूप के सभी काट-कूट और उपरिलेखन (लिखे पर लिखना) पर उन व्यक्तियों का, जिन्होंने ये किये हो और साथ ही सहायक चकबन्दी पदाधिकारी का भी तारीख सहित आद्यक्षर रहेगा। उन्हें फारम 27 में शुद्धि-पत्र सूचि में दिखाया जाएगा।

9- घ. धारा 13 का उप-धारा (1) के अधीन स्कीम की सम्पुष्टि हो जाने पर, उसे डूगगी पिटवा कर इकाई में प्रकाशित किया जाएगा और सम्पुष्ट स्कीम की एक प्रति सहायक चकबन्दी पदाधिकारी के कार्यालय में प्रदर्शित कर दी जाएगी।

9-ङ रैयतों को आवंटित चकों पर उनका वास्तविक मौलिक कब्जा दिलाने के लिए सहायक चकबन्दी पदाधिकारी द्वारा धारा 17-क के अधीन अपनायी जानेवाली प्रक्रिया वही होगी जो किसी डिक्री के निष्पादन में स्थावर सम्पत्ति पर कब्जा दिलाने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता में विहित है।

1. नियम 9-क से 9-च तक एस० ओ० 1461 दिनांक 26-8-1976 द्वारा अन्तःस्थापित।

Scanned with OKEN Scanner

9-च. धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन स्कीम सम्पुष्ट हो जाने तथा धारा 13 की उप-धारा (2) के अधीन उसके इकाई में प्रकाशित हो जाने के बाद, चकबन्दी पदाधिकारी ग्राम सलाहकार समिति के परामर्श से, एक तारीख नियत करेगा, जिस तारीख से अन्तिम चकबन्दी स्कीम प्रवृत्त होगी। इस प्रकार की तारीख डुग्गी पिटवाटकर इकाई में प्रकाशित कर दी जाएगी।']

10. धारा 18 और 40(2) (च) के अधीन पट्टा, बन्धक या ऋण-भार के अन्तरण के सम्बन्ध में नियम ।–धारा 18 और40 (2) (च) के अधीन पट्टा बंधक या अन्य ऋणभार के अन्तरण के सम्बन्ध में समेकन पदाधिकारी के मार्गदर्शन के लिए नियम :— जिस व्यक्ति का किसी रैयत की (पूर्व) होल्डिग पर पट्टा बंधक या अन्य ऋण-भार हो उसे रैयत के नए होल्डिग में से बराबर मूल्य की भूमि आवंटित की जानी चाहिए। यदि किसी पट्टेदार बंधकदार या अन्य भारधारी को आवंटित भूमि का बाजार-मूल्य, पट्टा बन्धक या अन्य ऋणभार के अधीन पहले धारित भूमि के बाजार मूल्य से कम हो, तो समेकन पदाधिकारी प्रतिकर की वह रकम अवधारित करेगा, जो रकम होल्डिंग का रैयत उसे चुकाएगा।

[1][**11. नियम 6-घ तथा धारा 11(1) के अधीन सूचना** ।— नियम 6-घ तथा धारा 11(1) और 12 (1) के अधीन जारी की जानेवाली सामान्य सूचनाएँ होगी।]

[1][**12. नियम 6-घ तथा धारा 11(1) और 12(1) के अधीन सामान्य सूचना का प्रारूप (फारम).**— सहायक चकबन्दी पदाधिकारी नियम 6-घ तथा धारा 11(1) और 12 (1) के अधीन प्रारूप 10-क, 7 और 12-क में एक सामान्य सूचना जारी करेगा ।]

[1][**13. धारा 40(2) [क] के अधीन सामान्य सूचना तामील करने का तरीका** ।—नियम 7 के उप-नियम (6) और (7) तथा नियम 11 के अधीन विहित सामान्य सूचना ग्राम पंचायत घर पर या गाँव के किसी सहज दृष्य स्थान पर गाँव के कम-से-कम दो व्यक्तियों की उपस्थिति में उसकी एक प्रति चिपकाकर तामील की जाएगी तथा साथ ही उस गाँव में डुग्गी पिटवाकर प्रकाशित की जाएगी। धारा 11(1) और नियम 7 (6) के अधीन इस प्रकार की सूचना, यथास्थिति, बैठक के लिए या सम्बद्ध पदाधिकारी के परिदर्शन (विजिट) के लिये नियत तारीख से कम-से-कम 15 दिन पहले तामील की जायगी। नियम 7 के उप-नियम (7) में सूचना ग्राम सलाहकार समिति के सदस्यों की नियुक्ति के बाद यथाशक्य शीघ्र तामील की जाएगी।]

[1][**14. धारा 12-क (1) के अधीन सूचना का प्रारूप (फारम)**।—चकबन्दी पदाधिकारी धारा 12-क (1) के अधीन प्रारूप (फारम) 13 और 13-क में और सहायक निदेशक, चकबन्दी प्रारूप (फारम)14 तथा 14-क में सूचना जारी करेंगे।]

15.धारा 40(2) (ख) के अधीन नोटिस तामिल करने की रीति—नोटिस तामील करने की रीति—(1) जब तक अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित या इस नियमावली में अन्यथा विहित न हो, तब तक अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तामील की जाने के लिए अपेक्षित कोई नोटिस या समन, उस व्यक्तित को जिस पर यह तामील किया जाना है या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत एजेन्ट को उसकी एक प्रति, जो सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और मुहर लगाई रहेगी परिदत्त करे या सौंप कर या तामील किया जाएगा।

(2) यदि उस व्यक्ति का, जिस पर ऐसी आदेशिका तामील की जानी हो, पता न चले और यदि उस व्यक्ति का उसकी ओर से ऐसी आदेशिका की तामील को स्वीकार करने के लिए कोई सशक्त ऐजेन्ट न हो, तो आदेशिका की तामील उस व्यक्ति के परिवार के किसी व्यस्क पुरुष-सदस्य पर, जो उसके साथ रहता हो, की जा सकेगी।

(3) यदि तामील करनेवाला पद स्वयं उस व्यक्ति को, जिस पर यह आदेशिका तामील की जानी हो या उसकी ओर से किसी एजेन्ट को आदेशिका की एक प्रति परिदत्त करे (या सौंपे) तो वह (तामील

1. एस० ओ० 1461 दिनांक 26-8-1976 द्वारा प्रतिस्थापित।

Scanned with OKEN Scanner

करनेवाला पदाधिकारी) मूल आदेशिका पर उस व्यक्ति का, जिसे उसकी प्रति परिदत्त की गई हो, हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान तामील के सबूत के रूप में ले लेगा।

(4) यदि वह व्यक्ति, जिस पर आदेशिका तामील की जानी हो, या उसका पूर्वोक्त एजेंट तामील के सबूत पर हस्ताक्षर करने से इनकार करे, या यदि तामील करनेवाला पदाधिकारी, सभी पुक्ति तत्परता बरतने के बाद भी उस व्यक्ति का, जिस पर आदेशिका तामील की जानी हो, पता न लगा पाए और उसकी ओर से आदेशिका की तामील स्वीकार करने के लिए कोई सशक्त एजेन्ट या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति न हो, जिस पर आदेशिका तामील की जा सके तो आदेशिका की तामील गाँव में डुग्गी पिटवाकर और उनकी एक प्रति जिस घर में वह व्यक्ति जिस की जानी हो आम तौर से रहता हो या कारबार अथवा लाभ के लिए स्वयं कार्य करता हो उसके बाहरी दरवाजे या किसी अन्य सुगोचर भाग में आदेशिका की एक प्रति चिपकाकर की जा सकेगी।

तामील करनेवाला पदाधिकारी ऐसे सभी केसों में जिनमें इस उप-नियम के अधीन ऐसी आदेशिका तामील की गई हो, मूल आदेशिका पर या उसके साथ एक ऐसी विवरणी पृष्ठांकित या उपाबद्ध कर या करवा देगें, जिसमें जिस तारीख़ को और जिस रीति से आदेशिका तामील की गई हो वह तारीख और रीति तथा तामील के साक्षी दो व्यक्तियों के नाम और पते दिए रहेंगे।

(5) पूर्वगामी उप-नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी [1][सहायक चकबन्दी पदाधिकारी,] चकबन्दी पदाधिकारी, [1][सहायक चकबन्दी निदेशक,] निदेशक यदि वह ठीक समझे, तो आदेश दे सकेगा कि आदेशिका निम्न रूप से तामील की जा सकेगी—

(i) उसकी एक सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और मोहर लगी प्रति उस व्यक्ति को, जिस पर वह आदेशिका तामील की जानी हो, पावती सहित रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजकर; या

(ii) यदि उस आदेशिका का सम्बन्ध किसी भूमि से हो, तो उसे उस भूमि के किसी सुगोचर स्थान में चिपकाकर उप-नियम (5) के खण्ड (i) में निर्दिष्ट केस में, आदेशिका को डाक से भेज देगा, सम्बद्ध व्यक्ति पर आदेशिका की तामील का पर्याप्त सबूत होगा।

उप-नियम (5) के खण्ड (ii) में निर्दिष्ट केस में, तामील करने वाले पदाधिकारी द्वारा दी गई ऐसी विवरणी जिसमें दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित ऐसी तामील की तारीख दी रहेगी, संबद्ध व्यक्ति पर उस आदेशिका की तामील का पर्याप्त सबूत होगी।

(6) यदि वह व्यक्ति, जिस पर अधिनियम के अधीन ऐसी आदेशिका तामील की जानी है, आवश्यक विकृतचित हो, तो तामील, यथास्थिति पूर्वोक्त रीति से, उस अप्राप्तव्य या विकृति चित व्यक्ति के संरक्षक पर की जाएगी।

(7) संबद्ध पदाधिकारियों द्वारा की जानेवाली जाँच या मुआयना जिस तारीख, समय और स्थान के लिए स्थगित किया जाए, उसकी सूचना नोटिस में मूलतः नियत समय और स्थान पर डुग्गी पिटवाकर दे दी जाएगी।

[2][**16. धारा 19 (1) के अधीन प्रतिकर अवधारित करने की रीति** ।—(1) यदि किसी होल्डिंग का कब्जा लगी फसल सहित देना हो और संबंध पक्षकारों के बीच ऐसी फसल के सम्बन्ध में किसी प्रकार का करार न हो, तो सहायक चकबन्दी पदाधिकारी, ग्राम सलाहकार समिति के परामर्श से ऐसी फसल का बाजार मूल्य अवधारित करेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन लगी फसलों का मूल्य निर्धारित करते समय, सहायक चकबन्दी पदाधिकारी निम्नलिखित बातों पर ध्यान देगा:—

(क) फसल की स्थिति।

(ख) फसल की प्राक्कलित उपज।

1. एस० ओ० 1461 दिनांक 26-8-1976 द्वारा अन्तः स्थापित।
2. प्रतिस्थापित (तत्रैव)।

Scanned with OKEN Scanner

(ग) फसल काटने के समय गाँव में उपज की प्रावकलित कीमत ।

(घ) अन्तरण की तारीख से फसल काटने के समय तक फसल पर खर्च की जा सकने वाली रकम।

(3) उप-नियम (2) में वर्णित मूल्य निर्धारण संबद्ध रैयतों की उपस्थिति में किया जाएगा यदि वे इकाई में डुग्गी पिटवाकर दी गई सामान्य सूचना के बाद उपस्थित हो जाएँ।

(4) मूल्य-निर्धारण का परिणाम सहायक चकबन्दी पदाधिकारी के आदेश से प्ररूप (फारम) 28 और 29 में प्रकाशित किया जाएगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन विवरण के अंतिम हो जाने के बाद, सहायक चकबंदी पदाधिकारी प्राप्तिकर्त्ता को प्रारूप (फारम) 30 में प्रतिकर-अधिनिर्णय (अवार्ड) प्रमाण-पत्र निर्गत करेगा जिसकी सूचना भुगतानकर्त्ता को भी प्रारूप (फारम) 34 में दी जायगी।

(6) यदि ऐसी होल्डिंगों या उसके भागों में लगी फसल की रखवाली करने या उसे जमा करने का अधिकार उसी व्यक्ति को रह जाए जिससे कब्जा अन्तरित किया जाए, तो सहायक चकबन्दी पदाधिकारी, ग्राम सलाहकार समिति के परामर्श से प्रतिकर की रकम प्ररूप (फारम) 31 में अवधारित करेगा, जो फसल वाले क्षेत्र के लगान-मूल्य के तीन गुणा से अधिक नहीं होगी और जो भूमि के उद्योग के लिए उस व्यक्ति को देय होगा, जिसे भूमि अन्तरित की गयी हो। सहायक चकबन्दी पदाधिकारी यह भी नियत करेगा कि किसी तारीख तक लगी फसल काटी और खेत से हटा ली जाएगी तथा किस तारीख तक अवधारित प्रतिकर का भुगतान कर दिया जाएगा। सम्बद्ध रैयत को प्ररूप (फारम) 31में उद्धरण तामील किया जाएगा।

(7) धारा 19 (2) के अधीन की अपीलों का विनिश्चय हो जाने के बाद सहायक चकबंदी पदाधिकारी इसके प्राप्तिकर्त्ता को प्ररूप (फारम) 30 में प्रतिकर अधिनिर्णय (अवार्ड) प्रमाण-पत्र निर्गत करेगा। वह भुगतानकर्त्ता को भी प्ररूप (फारम) 34 में एक सूचना निर्गत करेगा।

(8) वृक्षों, कुओं, भवनों और अन्य सुधार का मूल्यांकन ग्राम सलाहकार समिति के परामर्श से किया जाए तथा यथासंभव भूमि अर्जन पुस्तक में दिए गए अनुदेशों का पालन किया जाए। यदि सहायक चकबन्दी पदाधिकारी ऐसा विनिश्चित करे तो वह किसी निष्कर्ष तक पहुचने के पहले सहायक चकबन्दी निदेशक से अनुरोध कर सकेगा कि वह कुएँ या अन्य सुधार के मूल्य का प्राक्कलन लोक-निर्माण विभाग के किसी पदाधिकारी द्वारा करा ले। यदि किसी वृक्ष या कुएँ या अन्य सुधार पर एक से अधिक व्यक्तियों का स्वामित्व हो, तो सहायक चकबन्दी पदाधिकारी उनके हिस्से (शेयर) के सम्बन्ध में आवश्यक जाँच के बाद प्रतिकर की रकम, जो अवधारित की जा सकेगी, विभिन्न सह-स्वामियों को विनियोजित कर देगा। कब्जा देने के तुरत बाद, सहायक चकबन्दी पदाधिकारी वृक्ष, कुआं, भवन या अन्य सुधारों के लिए प्रतिकर प्राप्त करनेवालो को प्रारूप (फारम) 24-क में एक प्रमाण-पत्र दिलवायेगा। उस प्रमाण-पत्र में भुगतानकर्त्ता का नाम, प्रतिकर की राशि और उस सम्पत्ति का वर्णन दिया रहेगा जिसके लिए प्रतिकर दिया गया हो। वृक्ष, कुआँ और अन्य सुधारों के लिए प्रतिकर के भुगतान की सूचना भी प्रतिकर का भुगतान करनेवाले हरेक व्यक्ति को दी जाएगी, जिसमें प्राप्तिकर्त्ता का नाम अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम और उस सम्पत्ति का वर्णन दिया रहेगा, जिसके लिए प्रतिकर दिया गया हो।

(9) लोक प्रयोजनों के लिए अभिदाय के रुप में दी गई भूमि के लिए रैयतों को देय प्रतिकर की रकम का भुगतान नियम 22 के अधीन यथा अवधारित चकबन्दी खर्च से समायोजित करके दिया जायेगा। जिन मामलों में कोई चकबन्दी-खर्च रैयतों द्वारा देय नहीं हो अथवा प्रतिकर चकबन्दी खर्च से अधिक हो जाए उन मामलों में सहायक चकबन्दी पदाधिकारी उन्हें अतिरिक्त प्रतिकर नगद रुप में देगा और प्रारुप (फारम) 32 में भुगतान का अभिलेख रखेगा।]

[1][**17. धारा 15 के अधीन अन्तरण का प्रमाण-पत्र ।**—धारा 25 के अधीन अन्तरण का प्रमाण-पत्र प्रारुप (फारम) और विशिष्टिया—रजिस्टर 17 (भाग 1 और 2) का सुसंगत उद्धरण प्रत्येक

1. एस० ओ० 1461 दिनांक 26-8-1976 द्वारा प्रतिस्थापित।

रैयत और दर-रैयत को निर्गत किया जायगा और वह धारा 15 के अधीन अन्तरण-प्रमाण पत्र के रूप में होगा ।]

18. धारा 9 और 13 के अधीन भूमि का रजिस्टर ।— (1) निम्नलिखित रजिस्टर हरेक के सामने दिखाए गए फारम में रखे जायेंगे और उनमें हर फारम में यथा उल्लिखित विशिष्टयां दी रहेंगी:—

(i) रैयतों की भूमि का रजिस्टर ... . फारम 17

(ii) दर-रैयतों की भूमि का रजिस्टर ... . फारम 18

(iii) गैर मजरुआ खास मालिक भूमि का रजिस्टर ... . फारम 19

(iv) गैर-मजरुआ आम भूमि का रजिस्टर ... . फारम 20

(v) सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा धारित भूमि का रजिस्टर। ....फारम 21

[1][(vi) चकबन्दी स्कीम प्रारुप का रजिस्अर प्रारूप फारम'22-क ।]

(2) फारम 17 और 18 में रखे गऐ रजिस्टरों में क्रमशः हरेक रैयत और दर-रैयत के लिये, एक अलग पृष्ठ रखा जायगा तथा हरेक रैयत या दर रैयत के सम्बन्ध में प्रविष्टियां, वर्णानुक्रम से की जायगी। इसी प्रकार फारम 21 में रखे गए रजिस्टर में, हरेक सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकार के लिए पृष्ठ रखा जायगा।

19. [1][xxxx]

20. [2][xxxx]

21. धारा 40 (2) (6) के अधीन पुनर्गठित होल्डिंग का जलकर सहित लगान-निर्धारण ।— हरेक पुनर्गठित होल्डिंग का क्षेत्रफल और लगान-निर्धारण जलकर सहित किस रीति से अवधारित होगा — (1) पुनर्गठित होल्डिग का क्षेत्रफल बिहार-उड़ीसा सर्वेक्षण और बन्दोबस्त मैनुअल (बिहार ऐंड उड़ीसा सर्वे सेटलमेंट मैनुअल) 1927 में विहित अनुदेश और नियमों तथा बंदोबस्त विभाग, बिहार उड़ीसा की तकनीकी नियमावली, 1927 के अनुसार अवधारित किया जायगा।

(ii) पुनर्गठित होल्डिंग का लगान अभिधारी द्वारा पहले भुगतान की गई लगान पर विचार करने के वाद नियत किया जायगा और यह उसी अनुपात में घटाया-बढ़ाया जायगा जो अनुपात उसके पुनर्गठित होल्डिंग के [3][मूल्य] और उसके मूल होल्डिंग का हो।

(iii) यदि गांव की सिंचाई किसी सरकारी नहर से की जाती हो जिसके लिए जलकर वसूल किया जाता हो अथवा यदि बिहार प्राइवेट सिंचाई और जल-विकास निर्माण अधिनियम (बिहार प्राइवेट इरिगेशन एण्ड ड्रेनेज वर्क्स ऐक्ट), 1922 अथवा बिहार लोक सिंचाई निर्माण अधिनियम (बिहार पब्लिक इरिगेशन ऐक्ट) 1939 के अधीन निष्पादित किसी सिंचाई स्कीम मद्दे कई खर्च वसूलनीय हो, तो समेकन पदाधिकारी समेकन-कार्यवाहियों से सुसंगठित प्रविष्टियाँ लेकर उनकी एक प्रति यथास्थिति, जलकर या बिहार प्राइवेट सिंचाई और जल-विकास निर्माण अधिनियम (बिहार प्राइवेट इरिगेशन एण्ड ड्रेनेज वर्क्स ऐक्ट), 1922 तथा बिहार लोक सिंचाई अधिनियम (बिहार पब्लिक इरिगेशन ऐक्ट), 1939 के अधीन वसूलनीय खर्च के पुनर्निर्धारण के लिए समुचित प्राधिकारियों के पास भेज देगा।

22. धारा 24 के अधीन समेकन-खर्च का निर्धारण ।— धारा 24 के अधीन समेकन कार्यवाही का खर्च निर्धारित करने की प्रक्रिया—(i) किसी गांव की समेकन, कार्यवाही का खर्च निम्नलिखित मदों को जोड़कर निर्धारित किया जाएगा।

(क) गांव का अधिकार-अभिलेख तैयार करने के लिए लगाए गए विशेष कर्मचारियों का खर्च।

---

1. एस० ओ० 1461 दिनांक 26.8.1976 द्वारा अन्तःस्थापित ।

2. लुप्त (तत्रैव) ।

3. प्रतिस्थापित (तत्रैव) ।

Scanned with OKEN Scanner

(ख) समेकन-कार्य के सम्बन्ध में लेखन सामग्री का अनुपातिक खर्च और व्यय की अन्य मदें।

(ग) समेकन पदाधिकारी और उसकी स्थापना तथा समेकन निदेशक का पद बनाए रखने का अनुपातिक खर्च।

टिप्पणी– मद (ख) और (ग) के अनुपातिक खर्च की गणना इन शीर्षकों के अधीन कुल खर्च को वर्ष के दौरान समेकन के क्षेत्रफल द्वारा विभाजित करके, की जाएगी।

(ii) गांव की समेकन-कार्यवाही के कुल खर्च ही इस प्रकार अवधारित रकम से ऐसी कोई रकम, जिसे सरकार समेकन खर्च मद्दे देने का विनिश्चय करे, घटा ली जांनी चाहिए और इस प्रकार अवधारित शुद्ध रकम समेकन स्कीम से प्रभावित अभिधारियों और अन्य व्यक्तियों के बीच विभाजित कर दी जाएगी।

(iii) उप-नियम (ii) के अनुसार अवधारित शुद्ध रकम, उस गांव के रैयती होल्डिगों के कुल क्षेत्रफल से विभाजित की जाएगी जिसके प्रति एकड़, खर्च दर निकल जायगी। हरेक रैयतों से वसूली जानेवाली रकम उसके होल्डिंग के कुल क्षेत्रफल को प्रति एकड़ खर्च की दर से गुणा करके अवधारित की जाएगी, और यदि किसी होल्डिंग का कोई भाग किसी दर-रैयत या पट्टेदार बन्धकदार अथवा किसी अन्य ऋणभार धारी हो, तो इस प्रकार धारित क्षेत्र के अनुपातिक खर्च का आधा ऐसे दर-रैयत, पट्टेदार बन्धकदार या ऋणभार धारी से वसूला जायगा और आधा सम्बद्ध रैयत से। परन्तु, कुल वसूली प्रति एकड़ 4 रु० से अधिक नहीं होगी।

23. 40 (2)(ज) के अधीन अवयस्क (नावालिग) या विकृतचित्त व्यक्तियों के संरक्षकों की नियुक्ति ।— ऐसे अवयस्कों के संरक्षकों की नियुक्ति जिनके हित पर चकबन्दी-कार्यवाही के फलस्वरूप असर पड़ सकेगा:—

[1][(i) सहायक चकबन्दी पदाधिकारी, ग्राम सलाहकार समिति के परामर्श, से अधिनियम के अधीन कार्यवाही के प्रयोजनार्थ ऐसे अभिधारियों, पट्टेदारों, बंधकदारों, या अन्य भारग्रस्त व्यक्तियों के लिए संरक्षक की नियुक्ति करेगा, जो आवश्यक या विकृतचित्त हों और जिसके हित पर चकबन्दी-कार्यवाही के फलस्वरुप प्रभाव पड़ने की संभावना हों, बशर्ते इसके पहले किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से ऐसे संरक्षक की नियुक्ति नहीं कर ली गई हो।

(ii) किसी अवयस्क (नावालिग) या विकृतचित्त व्यक्ति के लिए नियुक्त संरक्षक उसका नैसर्गिक संरक्षक होगा बशर्ते कि नैसर्गिक संरक्षक का हित आवश्यक या विकृतचित्त व्यक्ति के हित के प्रतिकूल न हो। यदि इस रुप में नैसर्गिक संरक्षक की नियुक्ति नहीं हो तो, सहायक चकबन्दी पदाधिकारी इसके कारणों को अभिलिखित करेगा और तब आवश्यक या विकृतचित्त व्यक्ति के सबसें नजदीकी पुरुष सम्बन्धी को, जिसका हित उसके हित के प्रतिकूल न हो, संरक्षक के रुप में नियुक्त करेगा।]

(iii) ऐसे सभी संरक्षकों की एक सूची उनके प्रतिपालियों के नाम के साथ गांव में प्रकाशित की जायगी और प्रतिपाल्य से हितबद्ध कोई व्यक्ति ऐसे प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर ऐसी नियुक्ति के विरुद्ध समेकन पदाधिकारी के समक्ष आपत्ति पेश कर सकेगा। समेकन पदाधिकारी ऐसी आपत्तियों पर ग्राम सलाहकार समिति के परामर्श से विचार करके उन पर आदेश पारित करेगा, जो अन्तिम होगा।

24. धारा 40 के अधीन न्यायालय-फीस, आवेदनों और अपीलों के ज्ञापन पर देय न्यायालय फीस।—आवेदनों, आदेशिकाओं और अपीलों के ज्ञापन पर देय न्यायालय-फीस निम्नलिखित होगी—

आवेदन, आदेशिका और अपील स्वरुप ।	प्रति आवेदन, आदेशिका या अपील के ज्ञापन पर देय न्यायालय-फीस/स्टाम्प की रकम।
	रु०
1. धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन आवेदन	1.50

1. एस० ओ० 1461 दिनांक 26-8-1976 द्वारा प्रतिस्थापित।

Scanned with OKEN Scanner

2.	धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन आदेशिका-फीस	1.13
3.	धारा 6 की उप-धारा (4) या धारा 10 के अधीन अपील का ज्ञापन	1.50
4.	आपत्ति-अर्जी से भिन्न, अधिकार-अभिलेख (खतियान) की तैयारी के दौरान किया गया आवेदन ।	न्यायालय-फीस देय नहीं।
5.	विहार अभिधृति अधिनियम (बिहार टेनेंसी ऐक्ट),1885 की धारा 103 -क, छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, (छोटानागपुर टेनेंसी ऐक्ट), 1908 की धारा 83 या संथाल परगना बन्दोबस्त विनियम (संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन) 1872 की धारा 24 के अधीन आपत्ति-अर्जी।	आदेशिका-फीस 1.13 रु० प्रति आदेशिका के अतिरिक्त प्रत्येक आपत्ति अर्जी के लिए 1.50 रु०
6.	धारा 10 की उप-धारा (2) के अधीन आपत्ति	न्यायालय- फीस देय नहीं।
7.	धारा 12 की उप-धारा (2) के अधीन आपत्ति	,,
8.	धारा 13 की उप-धारा (3) के अधीन आपत्ति	,,

[1][**25.** चकबन्दी अमीन प्रारूप (फारम) 33 में ग्राम सलाहकार समिति की बैठकों की कार्यवाही रखेगा, उनके पास प्रारूप 34 में एक दैनन्दिनी (डायरी) भी रहेगी, जिसमें उसके द्वारा हरेक दिन किए गए कार्यों का विवरण दिखाया रहेगा। सहायक चकबन्दी पदाधिकारी भी इसी प्रारूप में एक दैनन्दिनी (डायरी) रखेगा।

26. (1) सहायक चकबन्दी निदेशक अपने अधीनस्थ किसी चकबन्दी पदाधिकारी/सहायक चकबन्दी पदाधिकारी से कोई भी मामला वापस ले सकेगा और उसे किसी अन्य सक्षम चकबन्दी पदाधिकारी। सहायक चकबन्दी पदाधिकारी को निपटारे के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा।

(2) इस अधिनियम या नियमावली के उपबन्धों के अधीन जिस पदाधिकारी के पास अपील पुनरीक्षण या निर्देश संस्थित हो, वह अपने यहाँ संस्थित या लम्बित किसी मामले को ऐसे किसी अन्य सक्षम पदाधिकारी को अन्तरित कर सकेगा, जो ऐसे मामले की सुनवाई या विनिश्चय करने के लिए सशक्त हो अथवा किसी अन्य पदाधिकारी के समक्ष लम्बित किसी मामले को उसकी संचिका से अपनी संचिका में वापस मंगा ले सकेगा।

(3) चकबन्दी निदेशक किसी सहायक चकबन्दी निदेशक की सँचिका से किसी मामले को वापस करा ले सकेगा और उसे निपटाने के लिए किसी अन्य सहायक चकबन्दी निदेश को निर्दिष्ट कर सकेगा।

27. चकबन्दी निदेशक राज्य के चकबन्दी संगठन में नियोजित पदाधिकारियों और कर्मचारियों पर पर्यवेक्षण और अधीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करेगा और इस प्रयोजनार्थ यथावश्यक निदेश निर्गत कर सकेगा।

28. अधिनियम की धारा 35 के अधीन कोई आवेदन-पत्र आवेदक या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्त्ता द्वारा उस आदेश के 30 दिनों के भीतर चकबन्दी निदेशक के पास उपस्थापित किया जायगा, जिसके विरुद्ध आवेदन किया जाय। जिस निर्णय और आदेश के सम्बन्ध में आवेदन किया जाएगा उसकी प्रतियाँ भी आवेदन-पत्र के साथ उपस्थापित की जाएँगी।]

1. नियम 25 से 28 एस० ओ०1461 दिनांक 26.8.1976 द्वारा अन्त:स्थापित ।

Scanned with OKEN Scanner